लखनऊ में जुलूसों को लेकर
शीआ सुन्नी समझौता

ऐसे महल पे दोस्तो! रख़्नागरी है ख़ुदकुशी
हम भी उसी जहाज़ में तुम भी उसी जहाज़ में
(सफ़ी लखनवी)

नूरे हिदायत फाउण्डेशन

इमामबाड़ा गुफ़रान मआब,
मौलाना कल्बे हुसैन मार्ग, चौक, लखनऊ-3
फ़ोनः 0522-2252230 मो0 09335276180

तास्सुब को छोड़ो, मुहब्बत जताओ कुछ इस्लाम की अपने अज़मत बढ़ाओ
कमी हुस्ने एख़लाक़ की जिन में पाओ उन अफ़राद को तुम मुहज़्ज़ब बनाओ
जो आलूद–ए–जंग पुर्ज़े रहे सब
चलेगी ये क़ौमी मशीन आप से कब
ये हमदर्द इस्लामियों को ख़बर दो कि मैदाने हिम्मत के ए रह नवरदो
तअस्सुब से इस क़ौम को पाक कर दो मुहब्बत की इस्टीम इस इंजन में भर दो
यही पुर्ज़े फिर काम देने लगेंगे
फ़राएज़ को अंजाम देने लगेंगे
फ़रीक़ैर शीरो शकर जिस तरह थे अभी कुछ दिनों पेश्तर जिस तरह थे
हम आहंग बाहम दिगर जिस तरह थे शबो रोज़ करते बसर जिस तरह थे
उसी तरह अब भी रहें मिल के बाहम
वो माहे सफ़तर हो कि माहे मुहर्रम
रहें सोचते क्यूँ हरीफ़ाना घातें करें नित नई क्यूँ दिल आज़ार बातें
कटें क्यों मुसीबत में दिन और रातें पुलिस लाये क्यों ख़ैमे, डेरे, क़नातें
हंसेगा बताओ, ये किस पर ज़माना
अगर मज़हबी काम हों वहशियाना
कुछ इस्लाम की शानो शौकत बढ़ाओ मजालिस को बे ख़ार गुलशन बनाओ
फ़रीक़ैन को सोहबतों में बुलाओ तरीक़े तमद्दुन के सब को सिखाओ
ना शिया हों सुन्नी, न सुन्नी हों शिया
तरक़्क़ी की इस्लाम की हों ज़रीआ

(लिसानुल क़ौम मौलाना सैय्यद अली नक़ी सफ़ी लखनवी मरहूम)

हैदरे कर्रार(अ.स.) के शियो!

1969, 1974, 1998, 1999 में शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के बीच समझौते हुए हैं। हम समझते हैं आम जनता क्या ख़ास लोगों में भी बहुमत को इन समझौतों के प्रालेख (Text) की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि ख़ुदग़र्ज़ मतलबी स्वार्थी लोग जन साधारण में ग़लतफहमियाँ फैलाते रहते हैं।

कुछ लोग मौलाना कल्बे जवाद साहिब पर इल्ज़ाम धरते हैं और दावा करते हैं कि हमारा इस जुलूस से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें मदहे सहाबा किसी रूप में बर्दाश्त नहीं। इसी तरह मिम्बरों से सीना ठोंक कर यह बात की जाती है कि हम तबर्राई हैं और खुले आम तबर्रा पढ़ना हमारा अधिकार है और मौलाना कल्बे जवाद सच्चे शिया नहीं हैं क्योंकि वह खुल्लम खुल्ला तबर्रा पढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इन समझौतों के Text से इन तथाकथित लीडरों के झूठ का भांडा फूट जाता है क्योंकि 1969 और 1974 के समझौतों पर उनके हस्ताक्षर हैं जिनमें बड़े खुलेमन से सुन्नियों को मद्हे सहाबा पढ़ने की अनुमति दी गयी है और समझौता किया गया है कि शिया खुल्लम खुल्ला तबर्रा नहीं पढ़ेंगे।

आप स्वयं अवलोकन कर लें कि 1998 के समझौते में साफ़ रूप से सुन्नियों को जुलूस निकालने की अनुमति दी गयी है और उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है कि वे अपने जुलूस का जो दिल चाहे नाम रखें, शियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। 1999 के समझौते से है स्पष्ट रूप से है कि सुन्नियों ने अपने जुलूस का नाम 'मदहे सहाबा' रखा है। मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर साहिब क़िब्ला ने अमीरुल उलमा जनाब मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहिब क़िबला को समर्थन का फैक्स भेजा जिसमें साफ़ तरह से लिखा, क्योंकि जुलूस का नाम सुन्नियों ने स्वयं रखा है और शियों और सरकार के नाम का कोई लगाव नहीं इसलिए समझौता मानने में कोई हरज नहीं। इस फैक्स की फोटोकापी भी समझौते के साथ संलग्न है।

बड़े बल से यह बात कही जाती है कि मौलाना कल्बे जवाद ने अपने बड़ों के तरीक़े को तज दिया है। इनके बुज़ुर्गों ने तबर्रा एजीटेशन में भाग लिया था और ये तबर्रा के विरोधी है इस सिलसिले में यह सच्चाई दृष्टि के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि सही अर्थों में नेता वही है जो काल और परिस्थितियों को देखते हुए जाति समुदाय के हित में निर्णय करे। परिस्थियों के बदलने के साथ फ़ैसले बदलना पड़ते हैं। रसूल हज़रत मुहम्मद स0 जिन्होंने बद्र, उहद, ख़ैबर, ख़न्दक़ के युद्धों में कमाण्ड किया वही अली अ0 जिनकी तलवार युद्धों में मौत की प्रतीक समझी जाती थी, हुदैबिया सन्धि के अवसर पर उन्हीं हाथों में क़लम था और सन्धि–पत्र देखने में दबी हुई शर्तों (प्रतिबद्धताओं) से लिखा जा रहा था। तो क्या किसी में साहस है कि कह सके कि

चरित्र बदल गये हैं। उसी तरह से मौला अली अ0 पच्चीस साल तक चुप रहे और तलवार की बेंट पर हाथ न गया, फिर दुनिया ने देखा कि वही अली अ0 जमल, नहरवान और सिफ़्फ़ीन में दुश्मनों के लिए ईश्वरीय प्रकोप का रूप बने हुए हैं। तो क्या कोई कह सकता है कि अली अ0 अपना चरित्र बदलते रहे। बल्कि सच्चाई यह है कि परिस्थितयों के अनुसार फैसले बदलते रहे।

इसी तरह मुजाहिदे मिल्लत (समुदाय संग्रामी) जनाब अशरफ हुसैन साहिब एडवोकेट वह व्यक्ति है जिन्हें मुजाहिदे मिल्लत की उपाधि तबर्रा एजीटेशन में मिली थी, 1969 के समझौते पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं कि हम सार्वजनिक मार्ग पर तबर्रा नहीं पढ़ेंगे, क्या कोई उनके लिए कहेगा कि अपना चरित्र बदल दिया। उसी तरह से शेरे हिन्दुस्तान मौलाना सैयद मुज़फ्फर हुसैन ताहिर जरवली साहिब जो तबर्रा के प्रसिद्ध समर्थक हैं, उनके हस्ताक्षर भी 1969 और 1974 के समझौतों पर मौजूद हैं। मौलाना कल्बे जवाद पर एतिराज़ है कि बुज़ुर्गों के चरित्र पर नहीं चल रहे हैं। मगर यहाँ तो इन बुज़ुर्गों पर यह एतिराज हो सकता है कि ख़ुद अपना चरित्र बदल दिया मगर यह एतिराज़ इस लिए ठीक नहीं है कि सचेत लीडर वही होते हैं जो परिस्थतियों के अनुसार फैसले किया करते हैं।

1977 में जब अज़ादारी पर रोक लगी तो अली कांग्रेस के बहुत से लड़के जनाब मौलाना ताहिर जरवली साहिब की सेवा में गये और उनसे कहा कि चलिये तबर्रा के लिए निकलते हैं तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि अब तबर्रा का अवसर नहीं है। इसका मतलब है कि उनको भी एहसास था कि समय बदल गया है इसलिए फैसले भी बदलना पड़ेंगे। 1998 और 1999 के समझौते स्वयं इस सोच के प्रतीक हैं कि समुदाय के कल्याण के लिए किस समय क्या फैसले लेना चाहिए।

मौलाना कल्बे जवाद ने एक बार जुमे के ख़ुतबे (प्रवचन) में एलान किया था कि अगर किसी को समझौते पर हस्ताक्षर नकारना है सीधे डी0एम0 को पत्र लिखे कि हमारे हस्ताक्षर समझौते पर नहीं हैं, मिंबरों से मौखिक नकारने का मतलब केवल क़ौम समुदाय को धोखा देना होगा। सभी ग़लतफहमियों को दूर करने के लिए नूरे हिदायत फाउण्डेशन समझौतों और जनाब मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर साहिब क़िब्ला के समर्थन फैक्स को प्रकाशित कर रहा है।

नूरे हिदायत फाउण्डेशन
इमामबाड़ा गुफ़रान मआब,
मौलाना कल्बे हुसैन मार्ग,
चौक, लखनऊ–3

I. SHIA SUNNI COMPROMISE AGREEMENT OF 1969.

GOVERNMENT PRESS NOTE DATED 25TH SEPTEMBER 1969.

The Chief Minister convened a conference of the Leaders of the Shia and Sunni Sects in the town last evening to strike a settlement between the two sects. After prolonged discussions, they came to an agreement about the manner of conduct of religious Milads, Majlises, Alams, Processions, etc. The text of the agreement reached between the two sects is as follows :-

1. The Shias will take out their Alams and processions and hold their usual Milads but they will not recite Tabarra in any public place in any manner. In their Milads, the Shias will praise the Prophet and their Imams etc. in a manner that it does not hurt the religious feelings and susceptibilities of Sunnis.

2. The Sunnies will hold their Milads in the usual manner in which they will describe the life, teachings and achievements of prophet and his companious in the manner they have been doing so hitherto. Praise of Prophet and his companions in such Milads will be recited in such a manner that it does not hurt the religious feelings ad susceptibilities of Shias.

Contd/2...

3. There will be no innovation in the matter of Alams, Milads, Majliscs and processions. The existing Milads, Alams, Majlises and processions as recorded in the festivals register will be binding on the parties and there will be no counter Milads or functions organised by either party and both parties will aboid doing anything calculted to injure the religious feelings and susceptibilities of each other.

In view of the compromise between the two sects, the Government have released the seven persons who had been detained, under the preventive Detention Act, in connection with the dispute vetween the Shias and Sunnis of the town.

1.	Syed Ashraf Husain, Advocate	1.	Nazir Ahmad Advocate
2.	Maulana Syed Muzzaffar Hussain Tahir Jarwali	2.	Cari Mohd. Siddigu
3.	Maulana Kalbe Sadiq	3.	Saghir Ahmad Advocate
4.	Maulana Syed Ali Nasir Saeed	4.	Hali Vasi Ahmad Chrari
5.	Maulana Sadaat Hussain	5.	Haji Amin Salonvi
6.	Maulana Mirza Mohd Alim	6.	Haji Zeinulabedeen

contd/....

1969 का शिया सुन्नी समझौता

सरकारी प्रेस–नोट दिनांक 25 सितम्बर 1969

मुख्यमन्त्री ने गत संध्या को नगर में शिया और सुन्नी नेताओं का एक सम्मेलन दोनों गुटों के बीच एक समझौता कराने के लिए बुलाया। लम्बी चली वार्ताओं के पश्चात, उन्होंने धार्मिक मीलादों, मजलिसों, अलमों, जुलूसों आदि की संचालन संहिता के बारे में एक सन्धि (क़रार) की। दो गुटों के बीच हुई सन्धि का प्रालेख (Text) निम्नवत हैः–

1. शिया अपने अलम और जुलूस निकालेंगे और अपने सामान्य मीलादों को आयोजित करेंगे, परन्तु वे किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार से तबर्रा नहीं पढ़ेंगे। अपने मीलादों में शिया नबी (मुहम्मद साहब) और अपने इमामों की प्रशंसा (मदह) इस प्रकार करेंगे जिससे सुन्नियों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस न लगे।

2. सुन्नी अपने मीलाद सामान्य ढंग से करेंगे जिसमें वे नबी और उनके साथियों के जीवन, शिक्षाओं और उपलब्धियों का वर्णन जिस प्रकार से अब तक करते चले आये हैं, करेंगे। ऐसे मीलादों में नबी और उनके साथियों की मदह (मद्हे सहाबा) ऐसे ढंग से पढ़ी जायेगी कि इससे शियों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस न लगे।

3. अलमों, मीलादों, मजलिसों और जुलूसों के सम्बन्ध में कोई नयापन (Innovation) नहीं होगा। वर्तमान मीलाद, अलम, मजलिसों और जुलूस जैसा कि त्योहारों की पन्जियिका में अभिलिखित (दर्ज) हैं, दोनों पक्षों पर बाध्य होंगे और किसी पक्ष के द्वारा जवाबी मीलाद या जलसे आयोजित नहीं कराये जायेंगे और दोनों पक्ष कोई ऐसी बात करने से दूर रहेंगे जो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस लगाने से ध्येय से हो।

दोनों गुटों के बीच समझौते को देखते हुए शासन ने उन सात व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है जो नगर के शिया सुन्नी विवाद के सम्बन्ध में निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) के अन्तर्गत नज़रबन्द (Detained) किये गये थे।

1. सैयद अशरफ़ हुसैन, एडवोकेट
2. मौलाना सैयद मुज़फ्फ़र हुसैन ताहिर जरवली
3. मौलाना सैयद कल्बे सादिक़
4. मौलाना सैयद अली नासिर सईद
5. मौलाना सआदत हुसैन
6. मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद आलिम

1. नज़ीर अहमद, एडवोकेट
2. क़ारी मुहम्मद सिद्दीक़
3. सग़ीर अहमद, एडवोकेट
4. हाजी वसी अहमद चरारी
5. हाजी अमीन सलोनवी
6. हाजी ज़ैनुल आबिदीन

(मूल अंग्रेज़ी नोट का अनौपचारिक अनुवाद)

124- Annexure 1974

ACCEPTANCE OF THE RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE APPOINTED BY THE GOVERNMENT ON SHIA SUNNI DISPUTE IN 1974.

R.K. Kaul,
Commr. and Secy. Home.

D.I. No.20(50)m/1974(b)
Government of Uttar Pradesh
Home (Police) Anubhag-11.
Dated, Lucknow Oct. 5, 1974.

Kindly refer to your letter of September 20, 1974 addressed to the Deputy Commissioner, Lucknow proposing the names for being nominated on the Shia-Sunni panel. In the light of your letter, Syed Ali Zaheer was nominated to serve on the three member Shia Sunni panel & Hazrat Maulana Saeed Ahmad Hashmi, Member of parliament was also nominated on behalf of Sunnis. The third member nominated with the consent of both parties was Smt. Swarup Kumari Sakshi, M.L.A. The three member Shia Sunni panel was accordingly constituted on Sept. 21, 1974 to work out the formula for solution of the dispute between the Shias and the Sunnis in Lucknow.

The panel heard the cases presented before by the Sunnis and Shia leaders and after considering all the points it has made following recommendations to the State Government.

Contd/....

(a) That 1969 agreement arrived at between the Shias and Sunnis should be adhered to but certain restrictions need to be imposed on the customery religious processions of Shias passing through the PataNala and Pul Gulam Husain streets.

(b) That nothing should be done by the Shia processionists to cause annoyance or hurt the feelings of Sunnis while the processions pass through the streets of Pata Nala and Pul Gulam Husain and, further that the numbers, the furations and the conduct of these processions shall be regulated.

(c) That the details and modalities of the restrictions to be imposed on the above processions shall be decided upon by the District authorities of Lucknow after assessing the situation from time to time and their decision will be binding and acceptable to the Sh ias and Sunnis.

3. The above recommendations of the three member Shia-Sunni Panel have been accepted by Government and the district authorities at Lucknow are being advised to take action accordingly.

Contd/...

4. The State Government wishes to convoy its gratitude to the three members of the pannel as also to the leaders of the Sunnis and Shias for their strenous efforts and public spritedness displayed in working out the formula so that the object of restoring peace and amity in the city of Lucknow is achieved.

Yours sincerely,

(R. K. KAUL)

1. Maulana Kalbe Abid.
2. Syed Tahir Jarwali.

1974 में शिया–सुन्नी विवाद पर सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों की स्वीकृति

पी॰ के॰ कौल,
आयुक्त एवं सचिव गृह

डी॰ आई॰ न॰ 20 (50)एम / 1974 (बी)
उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–11
दिनांक, लखनऊ 5, अक्टूबर 1974

कृप्या शिया सुन्नी पैनल पर नामित होने हेतु नामों को प्रस्ताव करते हुए, उपायुक्त, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 20 सितम्बर 1974 का सन्दर्भ लें। आपके पत्र के प्रकाश में, तीन सदस्यों के शिया सुन्नी पैनल (समिति) पर कार्यरत होने को सैयद अली ज़हीर को नामित किया गया था। हज़रत मौलाना सैयद अहमद हाशमी, संसद सदस्य को भी सुन्नियों की ओर से नामित किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति से नामित तीसरी सदस्या श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, विधानसभा सदस्या थीं। लखनऊ में शियों और सुन्नियों के बीच विवाद सुलझाने का सूत्र निकालने हेतु तीन सदस्यों का शिया सुन्नी पैनल तदनुसार 21 सितम्बर 1974 को गठित किया गया था।

पैनल ने शिया और सुन्नी नेताओं द्वारा प्रस्तुत पक्षों को सुना और सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद इसने प्रदेश सरकार से निम्न सिफारिशें की हैं:

(क) कि शियों और सुन्नियों के बीच हुई 1969 क़रार अनुबाध्य होना चाहिए किन्तु पाटानाला और पुल गुलाम हुसैन के मार्गों से गुज़रने वाले शियों के परम्परागत जुलूसों पर कुछ प्रतिबन्धों के लगाने की आवश्यक्ता है।

(ख) कि जब जुलूस पाटानाला और पुल ग़लाम हुसैन से गुज़रे तो शिया जुलूस वालों को सुन्नियों के तपाने का कारण बनने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, और आगे, कि इन जुलूसों की संख्या, अवधि (Duration), तथा संचालन निबन्धित होंगे।

(ग) कि इन जुलूसों पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के विवरण तथा प्रणाली बद्धिताएँ (Modalities) ज़िले के प्राधिकारियों द्वारा समय–समय से स्थिति का अवलोकन के बाद निर्णय की जायेंगी और उनका निर्णय शियों और सुन्नियों पर बाध्य और स्वीकारणीय होगा।

3. तीन सदस्यों के पैनल की ऊपर वाली सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं

और लखनऊ के ज़िला प्राधिकारीगण को तदनुसार कार्यवाई करने की सलाह दी जा रही है।

4. प्रदेश सरकार पैनल के तीन सदस्यों और ऐसे ही सुन्नियों और शियों के नेताओं को, इस सूत्र समाधान में दिखाए गये उनके सपरिश्रम प्रयासों और सार्वजनिक उत्सुकता के लिए जिससे लखनऊ नगर में शान्ति और सद्भाव पुनस्थापित करने का उद्देश प्राप्त हो, उसके लिए अपनी कृतज्ञता पहुँचाना चाहती है।

1. मौलाना कल्बे आबिद
2. सैयद ताहिर जरवली

आपका भवदीय
(पी॰ के॰ कौल)

(मूल अंग्रेज़ी पत्र का अनौपचारिक अनुवाद)

दिनांक 27 अप्रैल, 1998 को शिया-सुन्नी समुदाय के मध्य जुलूस निकाले जाने के सम्बन्ध मे हुई बैठकों मे किये गये समझौतो का विवरण

दोनो समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा शान्तिपूर्ण एवं सद्‌भावनापूर्ण वातावरण में लगातार कई बैठकें हुई और यह पाया गया कि चूंकि इन पुराने विवादों के सर्वमान्य एवं अन्तिम समाधान हेतु और अधिक समय लग सकता है। शासन द्वारा प्रमुख सचिव[गृह] की अध्यक्षता में गठित समिति के साथ जिला/पुलिस प्रशासन के साथ दोनों पक्षों के साथ सर्वमान्य एवं स्थाई समाधान के लिये वार्ता प्रगति पर है, किन्तु अन्तिम निर्णय लिये जाने में अभी और समय लग सकता है। अतः अस्थाई व्यवस्था के रूप में निम्न बिन्दुओं पर आम सहमति से एक अंतरिम समझौता लागू किया जाता हैः-

1- शिया समुदाय के लोग अपनी अजादारी के जुलूस शुरुआती तौर पर पहली मोहर्रम, दसवीं मोहर्रम, बीसवीं सफर [चेहल्लुम] व आठवीं रबी-उल-अव्वल तथा 21रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तो के अधीन निकाल सकेंगे।

2- बारहवीं रबी-उल-अव्वल [बारावफात] पर सुन्नी समुदाय के लोग जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय तथा शर्तो के अधीन एक जुलूस निकाल सकेंगे। इस जुलूस का नाम सुन्नी समुदाय के लोग खुद निश्चित करेंगे, जिस पर किसी को एतराज नहीं होगा।

3- इसके अलावा और जुलूसों/मामलात के बारे में दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी और आम सहमति से बाद में निर्णय लिया जायेगा ।

4- दोनों समुदायों के उपरोक्त जुलूसों में उभय पक्षों द्वारा कोई भी ऐसी हरकत या कार्यवाही नही की जायेगी, जो एक दूसरे के लिये आपत्तिजनक हो, या शान्तिभंग की संभावना बनती हो, और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो।

5- यदि इस समझौते का सही तरीके से पालन नहीं होता है, तो शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन/राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा।

6- उपरोक्त अंतरिम समझौता दोनों समुदायों के पारम्परिक एवं विधिक हकों व हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शिया समुदाय के प्रतिनिधिगण	सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधिगण
1 SYED HAMIDUL HASAN	Saghir Husain 27-4-98
2.	
Agha Roohi	
3. Syed Kalbe Jawad	ABDUL AZEEM FARUQI
4. M. M. Taher	
5. (JAWED MURTAZA)	Abdul Aleem Farooqi

जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधिगण

(O.P. SINGH) SSP Lucknow 27/4/98

SADA KANT D.M. Lucknow. 27/4/98.

शिया–सुन्नी समझौता

लखनऊ में शिया तथा सुन्नी समुदायों के बीच धार्मिक जुलूसों को लेकर विवाद बहुत ही पुराना तथा जटिल था। इस विवाद का उभयपक्षों की सहमति से सर्वमान्य समाधान प्राप्त करने के लिये शिया तथा सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच लगातार अनेकों बैठकें हुईं तथा सराहनीय प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 27 अप्रैल 1998 को शिया तथा सुन्नी समुदायों के मध्य आम सहमति से एक अन्तरिम समझौता कराया जा सका। इस समझौते के अनुसार शिया समुदाय के द्वारा शुरुआती तौर वर्ष 1998 तथा 1999 में अजादारी के जुलूस पहली मोर्हरम, 10वीं मोर्हरम, 20वीं सफर [चेहल्लुम] व 8वीं रबी–उल–अव्वल तथा 21–रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय व शर्तों के अधीन शान्तिपूर्वक निकाले गये।

इसी प्रकार दिनांक 27 अप्रैल 1998 के उपरोक्त समझौते के अनुसार 12वीं–रबी–उल–अव्वल [बारावफात] पर सुन्नी समुदाय को एक जुलूस निकालने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय तथा शर्तों के अधीन दी गई। समझौते के पैरा–2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुन्नी समुदाय द्वारा इस जुलूस का नाम"जुलूसे मदेह सहाबा" रखा गया। यह जुलूस दिनांक 8.7.98 को शान्तिपूर्ण वातावरण में निकाला गया।

दिनांक 27 अप्रैल 1998 को हुये अन्तरिम समझौते के पैरा–3 में यह व्यवस्था की गई थी कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिये तथा और जुलूसों/मामलातों के बारे में दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी और आम सहमति से बाद में निर्णय लिया जायेगा।

दिनांक 27 अप्रैल 1998 के अन्तरिम समझौते की सफलता के पश्चात इस विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिये दोनों पक्षों से फिर लगातार बैठकें की गईं और यह प्रयास किया गया कि शिया और सुन्नी समुदायों के लोगों में प्रेम और मोहब्बत का वातावरण बनाया जा सके तथा आपसी विश्वास की भावना स्थापित की

---2

D.M.

SSP.

की जा सके। लगातार बैठकों तथा प्रयासों के पश्चात उभयपक्षों में इस विवाद के समाधान के लिये आपसी सहमति हो सकी है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु उभयपक्षों द्वारा एक समझौते पर सहमति हुई। इस समझौते के अनुसार:-

1- शिया समुदाय के लोग अजादारी के जुलूस पहली-मोर्हरम, 7वीं मोर्हरम, 8वीं मोर्हरम, 9वीं मोर्हरम, 10वीं मोर्हरम, 20वीं सफर (चेहल्लुम) 8वीं -रबी-उल-अव्वल, 19वीं-रमजान तथा 21वीं-रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन निकालेगें।

2- सुन्नी समुदाय के लोग 12वीं-रबी-उल-अव्वल (बारावफात) पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन वर्ष 1998 की तरह अपने द्वारा नामित जुलूस मदेह सहाबा निकालेगें।

3- उपरोक्त जुलूसों के अतिरिक्त उभयपक्षों द्वारा कोई भी अन्य सार्वजनिक जुलूस नहीं निकाले जायेगें, जिससे दूसरे पक्ष को आपत्ति हो, तथा शान्तिभंग की सम्भावना उत्पन्न होती हो।

4- आवश्यकतानुसार जुलूसों/मामलों के बारे में दोनों पक्षो में बातचीत जारी रहेगी और आपसी सहमति से सर्वमान्य निर्णय लिया जायेगा।

5- दोनों समुदायों के उपरोक्त जुलूसों में उभयपक्षो द्वारा कोई ऐसी हरकत या कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो एक दूसरे के लिये आपत्तिजनक हो, या शान्तिभंग की सम्भावना बनती हो, और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो।

6- यदि इस समझौते का सही तरीके से पालन नहीं होता है,तो शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन/ राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा। यह समझौता अगले वर्षों में भी लागू रहेगा, जबतक कि इसके स्थान पर कोई नया समझौता आम सहमति से लागू नहीं हो जाता।

इस समझौते का जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

D.M.

SSP.

यह समझौता दोनों समुदायों के पारम्परिक एवं विधिक हकों व हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शिया समुदाय के प्रतिनिधिगण

M. M. TAHIR

S. Z. Hasan

सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधिगण

(ALEE FAROOQUI)

Saghir Husain

Ghulam Husain

FAZL-E-ALAM

(RAIS ANSARI)

(AZEEM FAROOQUI)

Musharraf Husain

जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधिगण

22/4/99
(SADA KANT)
D.M. LUCKNOW.

22.4.99
(A.K.D. Dwivedi)
S.S.P., Lucknow

स्थान–लखनऊ।

दिनांक 22 अप्रैल 1999

महिम सेवा में,

हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन (इस्लाम और मुसलमानों के प्रमाण) अमीरुल उलमा मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहिब क़िबला दामा ज़िल्लकुमुल आली (सदा आपका ऊँचा साया रहे)।

सलामुन अलैकुम

उम्मीद है स्वभाव स्वास्थ्य–मय होगा।

महोदय का भेजा हुआ फ़ैक्स ''अज़ादारी के बारे में शिया–सुन्नी अस्थायी समझौते'' के बारे में मिला। चूँकि

(1) इस समझौते में शियों को पिछले साल की अपेक्षा चार जुलूस ज़्यादा मिल रहे हैं,

(2) सुन्नीगण (हज़रात) के 'जुलूस' के नाम का सम्बन्ध उन्हीं से है, शिया या सरकार की ओर से नहीं है,

(3) शेष जुलूसों और माँगो के सम्बन्ध से बातचीत का दरवाज़ा खुला है,

(4) समझौता अस्थायी प्रकार का है,

(5) किसी के पारम्परिक अधिकारों के प्रभावित न होने की बात भी कही गयी है,

अतः मेरे विचार में इसको फिलहाल (अभी) स्वीकार कर लेने में कोई विपत्ति नहीं है। फिर भी आप और दूसरे ज़िम्मेदारों (Responsible Persons) की जो राय हो मुझे उस से विरोध (असहमति) न होगा।

इति

भवदीय

(ह0 मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर)

Mirza Mohd. Athar

☎ 0091-522-264115
0091-522-268160
Fax 0091-522-268160

Ref..............

Date: 23/4/99

بگرامی خدمت حجۃ الاسلام والمسلمین امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ دام ظلکم العالی

سلام علیکم

امید کہ مزاج گرامی مقرون بصحت ہوگا۔

جناب کا مرسلہ فیکس "عزاداری کے متعلق شیعہ سنی عارضی سمجھوتے" سے متعلق موصول ہوا

چونکہ

(۱) اس سمجھوتے میں شیعوں کو گزشتہ سال کے مقابلے میں چار جلوس زیادہ مل رہے ہیں

(۲) سنی حضرات کے جلوس کے نام کا تعلق انہیں سے ہے شیعہ یا حکومت کی طرف سے نہیں ہے

(۳) باقی جلوسوں اور مطالبوں کے تعلق سے گفتگو کا دروازہ کھلا ہے۔

(۴) سمجھوتہ عارضی نوعیت کا ہے

(۵) کسی کے روایتی حقوق کے متاثر نہ ہونے کی بات بھی کہی گئی ہے

لہذا میرے خیال میں اسکو فی الحال قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے

پھر بھی آپ اور دیگر ذمہ داران کی جو رائے ہو مجھے اس سے اختلاف نہ ہوگا

فقط

مخلص

مرزا محمد اطہر

Shahganj, Lucknow - 226 003 U.P. India